

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वाद पत्र संख्या 42/2017 GCMS NO. 2017/00098

उनवानी शान्ति देवी बनाम बाबूलाल आदि
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट 1955 व
धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

1.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान हाजिर नहीं आये। पत्रावली में सुनवाई हेतु अधिवक्ता उभय पक्षकारान को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता उभय पक्षकारान हाजिर नहीं आये तथा न ही पक्षकारान हाजिर आये। न्यायालय समय तक रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलवाई गई। इसके उपरान्त भी अधिवक्ता उभय पक्षकारान हाजिर नहीं आये। पक्षकारान स्वयं भी हाजिर नहीं आये तथा न ही पक्षकारान की ओर से अन्य कोई हाजिर आया। अतः वादीया का हस्तगत वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के नियम 9 नियम 3 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



(बन्शी धर योगी)
उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी
जिला नीमकाथाना (राज.)
उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी